शिक्षा के नाम पर धारा 134ए का विभागीय नाटक

फ़रीदाबाद (म.मो.) बच्चों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करने के नाम पर हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों का बंटाधार होने से परेशान अभिभावक तो अपनी गरीबी एवं लाचारी के चलते कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन बेहतर शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा किये जाने वाले शोषण के विरुद्ध अभिभावक मंच का गठन कर डाला।

` धारा 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में कुछ गरीब बच्चों के लिये सीटें आरक्षित हैं। इन्हीं के लिये इस वर्ष विभिन्न कक्षाओं के लिये 4720 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जिनमें से 2749 बच्चों को चयनित कर उन्हें स्कूल अलॉट कर दिये गये। परन्तु जब अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले कराने निश्चित स्कूलों में पहुंचे तो उन्हें गेट के बाहर से ही भगा दिया गया।

बताये गये नियमों के अनुसार वे इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध एवं इसका उपाय कराने के लिये सोमवार 20 तारीख को जब सेक्टर 16 स्थित ज़िला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे तो ज़िला शिक्षा अधिकारी तुरन्त अपने कार्यालय से निकल कर अभिभावकों के बीच पहुंच गई और कहा कि नौवीं व 11 वीं जमात वाले अपने हाथ खड़े करें। इन श्रेणियों के निकले मात्र सात विद्यार्थियों को डीईओ रितु चौधरी ने अपने साथ ले लिया और बाकी पहली से आठवीं वालों को मौलिक शिक्षा अधिकारी मुनीष चौधरी के दफ़्तर का रास्ता दिखा दिया। मसले का समाधान करने की बजाय मुनीष चौधरी पिछले दरवाजे से खिसक गई।

अगले दिन मंगलवार को अभिभावक गण फ़िर से मुनीष चौधरी के दफ़्तर आये तो वो दफ़्तर से नदारद थीं। विदित है कि पहली जमात से लेकर आठवीं जमात तक के मामले उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

मंगलवार को अभिभावकगण काफ़ी उग्र प्रतीत हुए क्योंकि समाधान तो कोई हो नहीं रहा था उल्टे कुछ बाबुओं द्वारा उन्हें धमकाने के चलते भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। यही सब कुछ बुधवार को हुआ तो मामला उपायुक्त महोदय के नोटिस में लाया गया। उन्होंने तुरन्त नोटिस जारी करके तमाम प्राइवेट स्कूल वालों को चार बजे शाम अपने कार्यालय में बुला लिया। डीईओ रीतु पहले से ही छुट्टी पर थी तो उनकी ओर से एक वरिष्ठ अध्यापक उपायुक्त की इस मीटिंग में पहुंचा। वहां मौलिक शिक्षा अधिकारी मुनीष का कोई अता-पता नहीं था।

दोनों पक्षों की बात सुनकर उपायुक्त ने मामला चंडीगढ बैठे उच्चाधिकारियों की ओर धकेल दिया तथा प्राइवेट स्कूल वालों को कहा कि वे चंडीगढ़ जाकर अपने मामले को सुलझवा लें वरना बतौर उपायुक्त वे तो सरकार के आदेशों को लागू करवाने के लिये पाबंद हैं हीं।

इस मामले में गौरतलब है कि डीईओ रीतु चौधरी ने तो अपने अधिकार क्षेत्र के मामले को तुर्त-फुर्त निपटा दिया। दूसरी ओर मौलिक शिक्षा अधिकारी मुनीष चौधरी का कहीं अता-पता नहीं। पूछ-ताछ करने पर उनके एक बाबू ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुनीष चौधरी ज्यादा सिरदर्दी मोल नहीं लेती। उनका मानना है कि ये काम तो यूं ही चलते रहते हैं। वे कभी घंटे-दो घंटे के लिये भी दफ़्तर आ जायें तो बहुत बड़ी बात है। वे तो हाजरी लगाने के लिये रजिस्टर भी घर ही मंगा लेती हैं। अधिकारियों की मीटिंग में भी वे यदा-कदा ही जाती हैं। उनकी ओर से जारी होने वाले आदेशों पर भी उनकी ओर से 'फ़ॉर' करके बाबू ही दस्तखत कर देते हैं। उसने सबसे मजेदार बात यह भी बताई कि बीते 7-8 साल में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली हैं जबकि इस दौरान उन्होंने अपने दो बच्चों की शादियां भी कर दीं और विदेश यात्रायें भी कर डालीं।

सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। कोरोना के दिनों में भी उनकी सरकारी गाड़ी हर महीने 900 किलो मीटर तक चलती रही है। उन्हें चाहे कोसी कोकिला वन जाना हो या मथुरा-वृन्दावन, सरकारी गाड़ी की सेवा उपलब्ध रहती है। गाड़ी का ड्राइवर न हो तो क्या हुआ दफ़्तर के बाबू तो इस काम के लिये हाजिर रहते ही हैं। दफ़्तर का काम भले ही न हो पाये पर मैडम की ड्राइवरी तो करनी ही पड़ती है। उसी बाबू ने यह भी बताया कि मैडम की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि बड़े से बड़े अफ़सर भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते, उल्टे मैडम चाहें तो किसी भी अच्छे-भले बाबू या मास्टर की ऐसी-तैसी करा सकती हैं। उनके इसी आतंक के चलते सारा स्टाफ़ उनसे थर्राता है। 134ए का मसला ज्यों का त्यों पड़ा है।

सरल शब्द

'आधार' को वोटर कार्ड से जोड़ने की जल्दी

बीजेपी सरकार ने 'आधार' को वोटर कार्ड से जोड़ने का कानून पास कर दिया। लोकसभा में यह कानून बिना किसी बहस के आनन-फानन में कृषि कानूनों की तरह सोमवार को पास कर दिया गया। इसी तरह जल्दबाजी और जबरदस्ती में पास किये गये कृषि कानूनों को थूक कर चाटने की अपनी परिणति से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। लोकसभा में सोमवार को कामकाज की लिस्ट में इस बिल का कहीं जिक्र नहीं था लेकिन सोमवार को दोपहर बाद एक पूरक सूची में शामिल करके इसे पेश कर दिया गया। और फ़िर विपक्ष की इसे विचार विमर्श के लिये सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की मांग के बावजूद इसे तुरन्त ध्वनि-मत से पारित कर दिया गया। इसी तरीके से मंगलवार को इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। यानी सरकार एक षडयंत्रपूर्ण तरीके से इस कानून को बनाने और तुरन्त बनाने के लिये कटिबद्ध थी। आखिर सरकार को इसकी क्या जल्दी थी?

आधार को मतदाता सूची और मतदाता पहचानपत्र से जोड़ने से कई सवाल खड़े हो गये हैं जिनको अनदेखा कर दिया गया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इससे मतदान की गोपनियता भंग हो जायेगी और संविधान द्वारा प्रदत्त गुप्त मतदान के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन सरकार का इस कानून को लाने का उद्देश्य भी शायद यही है। जो जासूसी इजरायली 'पेगासस' से चुनिन्दा लोगों की गुप्त रूप से की जा रही थी वो अब इस कानून के द्वारा सबकी और खुलेआम हो सकेगी। यानी मतदान के बाद के विश्लेषणों से सरकार यह जान सकेगी कि किसने किसको वोट दिया है। तो क्या उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनावों में लोगों को डराने के लिये ये कानून लाया गया है? क्या उनको यह बताने के लिये कानून लाया गया है कि अगर हमें (यानी बीजेपी) को वोट नहीं दोगे तो हमें पता चल जायेगा और फ़िर हम तुम्हें सबक सिखायेंगे।

उधर केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आधार को जोड़ना पूर्णतया स्वैच्छिक होगा (यानी कोई अपने मतदाता पहचानपत्र से चाहे तो इसे जुड़वाये और चाहे तो नहीं) लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि इससे दो-दो जगह मतदान करने वालों और बोगस वोटरों का सफ़ाया किया जा सकेगा। पूछा जाना चाहिये कि अगर मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना स्वैच्छिक होगा तो कोई बोगस मतदाता इससे कैसे पकड़ा जायेगा या दो-दो जगह मतदाता सूची में नाम होने से इससे कैसे रोका जा सकेगा। स्पष्ट है कि या तो यह काम स्वैच्छिक नहीं होगा या फ़िर इससे बोगस मतदान की समस्या हल नहीं होगी। तो क्या केन्द्रीय कानून मंत्री झूठ बोल रहे हैं? या फ़िर वो अपना नाम गधों की सूची में जुड़वाना चाहते हैं? संशोधित कानून की धारा 23 (5) के अनुसार सरकार एक तारीख तय करके सरकारी गजट में प्रकाशित कर सकती है जिसके बाद कोई भी नागरिक चाहे तो अपना आधार वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकता है। सवाल यह है कि कोई नागरिक अगर अपना आधार चुनाव अधिकारी को सूचित नहीं करता है या करना नहीं चाहता तो क्या होगा? पिछले अनुभव से हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश के बावजूद न तो बैंक खाता बिना आधार के खोला जा रहा है और न ही मोबाइल कनेक्शन आधार के बिना मिल रहा है। क्या ये स्पष्ट संकेत नहीं है कि वोटर लिस्ट के साथ भी ऐसा ही होगा। क्या इस कारण भारत के बहुत सारे नागरिक वोट डालने और चुनाव के अपने अधिकार से वंचित नहीं हो जायेंगे? और जो आधार को वोटर कार्ड या लिस्ट से जुड़वा लेंगे क्या उनकी निजी जानकारियां सुरक्षित रह पायेंगी? लेकिन जब सरकार को नागरिकों को डरा-धमका कर या फ़िर उनकी जासूसी करके सिर्फ़ चुनाव जीतने की चिन्ता है तो फ़िर ऐसे कानून बनाने और उनके दुरुपयोग से उसे कौन रोक सकता है!

-अजातशत्रु

निगमायुक्त ने आखिर रेहड़ी वालों की उपयोगिता का संज्ञान ले ही लिया

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपनी प्रशासकीय 'क्षमता' का नमूना पेश करते हुए निगमायुक्त यशपाल यादव ने पहले तो रेहड़ी-पटरी वालों को बजारों से उखाड़ा-पछाड़ा लेकिन जब मीडिया व स्वयं रेहड़ी वालों ने हल्ला-प्रदर्शन किया तो निगमायुक्त महोदय को एहसास हुआ। अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक वार्ड के पार्षद को साथ लेकर उनके वार्डों में तीन-तीन ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां रेहड़ी वालों की मार्केट बनाई जा सके। यदि यही काम निगमायुक्त महोदय उन्हें उजाड़ने से पहले कर लेते तो वे एक कुशल प्रशासक तो कहलाते ही साथ में रेहड़ी वालों को उनके सफ़ाई अभियान के विरुद्ध धरने-प्रदर्शन आदि भी न करने पड़ते। चलो, देर आये, दुरुस्त आये।

जैसे कि पहले भी लिखा जा चुका है कि बाजारों में दुकानों के सामने से अवैध कब्जे हटाये जाने का अभियान सराहनीय है। इस अभियान की शुरूआत करते हुए जब निगम प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की तो तमाम लोगों ने अपनी दुकानों व घरों के सामने बने शेड व ग्रील इत्यादि हटा लिये। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि मुख्य बाजारों में, अपने आप को बड़ा प्रभावशाली मानने वाले कुछ दुकानदारों ने इस अभियान को धता बताते हुए अपने कब्जे बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे लोगों ने आज तक भी अपनी दुकानों के सामने दस-दस फीट तक सड़क घेर रखी है। यदि प्रशासन ऐसे लोगों को इनकी औकात बताते हुए, इन्हें कानून का पालन कराने में असमर्थ रहता है तो बाकी शरीफ़ दुकानदार भी प्रेरित होकर सड़कें घेरने से बाज नहीं आयेंगे।

दुकानदारों के लिये समझने वाली बात यह भी है कि सड़कों पर अवैध कब्जे होने के कारण लगने वाले जाम के चलते शॉपिंग करने के लिये ग्राहक भी आने से कतराते हैं। वे शॉपिंग के लिये अन्य वैकल्पिक स्थानों की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में शहर के दुकानदारों को यदि अपना व्यापार बचाये रखना है तो बाजार को इस लायक बनाये रखें कि ग्राहक उन तक आने में कोई असुविधा महसूस न करें।

रेहड़ी वालों को भी दिमाग से यह वहम निकाल देना चाहिये कि उनका कारोबार भी भीड़-भाड़ वाले बाजारों में ही अधिक चल सकता है। उन्हें समझ लेना चाहिये कि उनके ग्राहक तो उन्हीं के पास आयेंगे वे चाहे जहां बैठा दिये जायें। जब रेहड़ी वालों की पूरी मार्केट ही एक अलग जगह पर बसा दी जायेगी तो उनके ग्राहक आज नहीं तो कल उन तक पहुंच ही जायेंगे बल्कि हो सकता है कि कुछ ज्यादा संख्या में ही पहुंचे।